न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -45/2024

अनवान

किशन लाल उर्फ किशना पुत्र देवी लाल जाति रेगर, आयु 80 वर्ष, निवासी सुखपुरा, ग्राम पंचायत धांगड़मउकलां, थाना भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

- प्रार्थीया

बनाम

जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित - श्री एच.एन.शर्मा अभिभाषक प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 07.01.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि मुझ प्रार्थी के खाते व स्वामित्व की कृषि आराजीयात ग्राम सुखपुरा प0ह0 धांगड़मउकलां भू0 अभिलेख निरीक्षक भैंसरोड़गढ़ तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की खाता संख्या नया 18 व पुराना 14 खसरा संख्या 216, 217, 218, 474 कुल किता 04 रकबा 0.2700 है0 लगान 2.8600 स्थित है। जानकारी हेतु जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 जमाबंदी की साथ में संलग्न है। जिसमें मुझ प्रार्थी का नाम किशन लाल उर्फ किशना पुत्र लालू हिस्सा 1/4 दर्ज हैं। मुझ प्रार्थी का वास्तविक नाम किशन लाल पुत्र देवीलाल जाति रेगर निवासी सुखपुरा ग्राम पंचायत धांगड़मउकलां, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़, है। जानकारी हेतु प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान-पत्र में किशन लाल पुत्र देवीलाल नाम दर्ज है। इस प्रकार मुझ प्रार्थी का वास्तविक नाम किशन लाल पुत्र देवीलाल है किन्तु सहवन से उक्त आराजीयात का इंतकाल खुलते समय मुझ प्रार्थी का नाम किशन लाल उर्फ किशना पुत्र लालू दर्ज हो गया है। उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवश हुई है। इसलिए उक्त खाते में प्रार्थी का नाम किशन लाल उर्फ किशना पिता देवीलाल किये जाने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती का यह प्रार्थना-पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कॉलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात में प्रार्थी का नाम किशन लाल उर्फ किशना पुत्र देवीलाल किये जाने का आदेश प्रदान कर इंतकाल दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में जवाब की आवश्यकता नही होने का निवेदन कर जवाब देने से इन्कार किया गया। प्रकरण में ग्राम पंचायत धांगडमउकलां से जांच कराई गई। सरंपच व ग्राम विकास अधिकारी ग्रा. पं. धांगडमउकलां द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार ग्राम सुखपुरा मे किशनलाल उर्फ किशना पिता लालू के नाम से कोई पुरूष निवास नहीं करता है जबकि वास्तव में किशनलाल उर्फ किशना पुत्र देवीलाल नाम का व्यक्ति होकर नाम देवीलाल अंकित किया जान[illegible] निवेदन किया है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। [illegible] सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने [illegible] प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि [illegible] निवेदन किया है कि ग्राम सुखपुरा व प0ह0 धांगडमउकलां [illegible] में खाता संख्या नया 18 व पुराना 14 खसरा संख्या 216, 217, 218, 474 कुल किता 04 र[illegible] 0.2700 है0 लगान 2.8600 रू भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम लालू दर्ज कर दिया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान-पत्र इत्यादि में प्रार्थी का वास्तविक नाम किशनलाल पुत्र देवीलाल है किन्तु उक्त आराजीयात का इन्तकाल खोलते समय प्रार्थी के पिता का नाम लालू दर्ज कर दिया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम लालू के स्थान पर देवीलाल करने के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:23:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम सुखपुरा व प0ह0 धांगडमउकलां की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के ख्याता संख्या नया 18 व पुराना 14 खसरा संख्या 216, 217, 218, 474 कुल किता 04 रकबा 0.2700 है0 भूमि के इंतकाल की जांच कर प्रार्थी के पिता का नाम किशनलाल उर्फ किशना पिता लालू के स्थान पर किशनलाल उर्फ किशना पिता देवीलाल दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:23:20 IST
Reason: SelfAttested